न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 38/2017 जिला दौसा ।

1. रामसहाय पुत्र भौर्या (नाम हजफ)
2. श्रीकिशन पुत्र भौर्या जाति मीना, निवासी भगलाव, तहसील दौसा, वर्तमान तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. टूण्डा पुत्र भौर्या
2. रामकिशन पुत्र भौर्या
   जाति मीना, निवासी भगलाव, तहसील दौसा, वर्तमान तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 26.4.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री हेमराज गूर्जर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक – 23.4.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 26.4.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम , तहसील व जिला दौसा के भू प्रबन्ध विभाग के पर्चा खतौनी संख्या 86 में अंकित भूमि का खातेदार भौर्या था । उक्त पर्चा खतौनी पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी , जयपुर ने दिनांक 8.11.1982 को आदेश अंकित किया कि " आज दिनांक 8.11.82 को मजमेआम में बताया गया कि भौर्या फौत हो गया है जिसके लडके रामकिशन, टुण्डा, रामसहाय, श्रीकिशन है । अतः आदेश दिया जाता है कि भौर्या के स्थान पर रामकिशन, टुण्डा, रामसहाय, श्रीकिशन पिता भौर्या का नाम दर्ज किया जावे "।

सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के उक्त आदेश दिनांक 8.11.82 से व्यथित होकर रामसहाय व श्रीकिशन पुत्रान भौर्या द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.4.2017 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई है एवं भू अभिलेख अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 8.11.1982 द्वारा पर्चा खतौनी संख्या 86 पर पारित आदेश यथावत रखा गया ।

Scanned by CamScanner

जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 26.4.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 26.4.2017 व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जारी पर्चा संख्या 86 पर दिनांक 8.11.82 को जारी तकासमा आराजी की आज्ञा खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिववक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का तकासमा करने का अधिकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को कतई नहीं था एवं तकासमा किये जाने की सहमति भी नहीं दी थी फिर भी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने प्रश्नगत आदेश पारित कर तकासमा किया है, जो विधि विपरीत एवं क्षेत्राधिकार विहिन है । उनका कहना था कि यह तथ्य पूर्णरूप से सिद्ध था कि विवादित भूमि 38 बीघा 6 बिस्वा में से अपीलान्ट्स का 1/2 हिस्सा बनता है तथा अपीलान्ट्स 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि के हकदार है , जबकि अपीलान्ट्स के हक में मात्र पोने तीन बीघा भूमि का इन्द्राज किया है । उनका कहना था कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने कुरेजात बनाये बिना ही तकासमा आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये केवल रेस्पोंडेन्ट की प्रारम्भिक आपत्ति को सही मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि का तकासमा करने बाबत कोई भी प्रार्थना पत्र सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को नहीं दिया था, लेकिन उनके द्वारा प्रश्नगत आदेश में अंकित किया है कि मृतक भौर्या के चारों पुत्रों द्वारा दरख्वास्त पेश कर अलग अलग खाता कायम किये जाने का व बंटवारा करने का कथन किया है । विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज चले आ रहे हैं तथा मौके पर समान रूप से काबिज है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के प्रश्नगत आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को पूर्व में नहीं थी और दिनांक 1.3.2016 को जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी । उनका कहना था कि विलम्ब के संबंध में रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र नहीं दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट की प्रारम्भिक आपत्ति को मानते हुये अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी निरस्त किये जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट मृतक भौर्या पुत्र धन्ना के पुत्र नहीं है बल्कि अपीलान्ट रामधन के पुत्र है , जो रामसिंहपुरा तहसील नांगल राजावतान में रहते हैं जिनका विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है । पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान के समक्ष वाद विचाराधीन है । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने अपील में स्वयं ने स्वीकार किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट के पिता का देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट व रेस्पांडेन्ट राजीखुशी साथ साथ सेटलमेन्ट विभाग में एक साथ गये थे ओर राजीखुशी ही नामातरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अपीलान्ट एक तरफ तो भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही को विधिसम्यक बता रहे हैं और दूसरी ओर गलत आदेश पारित कराना बता रहे हैं । उनका कहना था कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता की मृत्यु वर्ष 1981 में हुई थी , जो अपीलान्ट ने अपील में स्वीकार किया है । अतः वर्ष 1981 से अब तक अर्थात 34 वर्ष बाद अपील पेश की गई थी, जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा इतने लम्बे अन्तराल के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताये गये । अपीलान्ट ने प्रश्नगत आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी उनकी अनुपस्थिति में जारी किया जाना व आदेश की जानकारी दिनांक 1.3.2016 को होना धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में बताया गया है, जो सरासर गलत व न्यायालय को गुमराह करने की गरज से धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । उनका कहना था कि अपीलान्ट स्वयं अपनी अपील में यह कहकर आये हैं कि उनके पिता के देहान्त के बाद वे एक साथ सैटलमेन्ट विभाग में गये थे और दूसरी तरफ उनको इसका पता नहीं होना, गलत व बेबुनियाद है । रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.4.2017 द्वारा अपील अस्वीकार कर खारिज की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 8.11.82 यथावत रखा गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार भौर्या की विरासत का है । खातेदार भौर्या की विरासत सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने आदेश दिनांक 8.11.1982 द्वारा भौर्या के लडके रामकिशन, टुण्डा, रामसहाय , श्रीकिशन को मानत हुये भौर्या के स्थान पर रामकिशन, टुण्डा, रामसहाय, श्रीकिशन पिता भौर्या का नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के उक्त आदेश दिनांक 8.11.82 से व्यथित होकर रामसहाय व श्रीकिशन पुत्रान भौर्या द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.4.2017 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कर अपील अपीलान्ट

Scanned by CamScanner

खारिज की गई है एवं भू अभिलेख अधिकारी जयपुर के दिनांक 8.11.1982 द्वारा पर्चा खतौनी संख्या 86 पर पारित आदेश यथावत रखा गया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में विवादित भूमि का खातेदार भौरया था जिसके फौत होने से विरासत सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर ने आदेश दिनांक 8.11.1982 द्वारा भौरया के लडके रामकिशन, टुण्डा, रामसहाय, श्रीकिशन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं जिसके खिलाफ रामसहाय व श्रीकिशन पुत्रान भौरया की अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.4.2017 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई है एवं भू अभिलेख अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 8.11.1982 द्वारा पर्चा खतौनी संख्या 86 पर पारित आदेश यथावत रखा है । प्रकरण में अपीलान्ट ने अपील मीमों में स्वयं ने स्वीकार किया है कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता भौरया की पैतृक कृषि भूमि तन मौजा भगलाव में स्थित रही है, जिनका देहान्त वर्ष 1981 में हो गया था जिस पर अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट्स अपने हक में विरासत का नामांतरकरण करवाने हेतु सैटलमेन्ट विभाग में गये थे क्योंकि उस समय तहसील दौसा में भू प्रबन्ध कार्यवाही चल रही थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की अपील करीबन 34 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी तथा विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी अपील में अंकित नहीं किया । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एकमात्र प्रकिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 26.4.2017 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner